रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062025-263541
CG-DL-E-03062025-263541

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 320] | नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 2025/ज्येष्ठ 13, 1947 |
| No. 320] | NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2025/JYAISTHA 13, 1947 |


गृह मंत्रालय

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 जून, 2025

**सा.का.नि. 363(अ).—** राष्ट्रपति, लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियम, 2025 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती-अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना (प्रक्रिया) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

**2. परिभाषा.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

क) **"सक्षम प्राधिकारी"** से, अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर तहसीलदार, या कोई अन्य अधिकारी जिसे प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए अभिप्रेत है ;

ख) **"निवास"** से लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण एवं भर्ती (संशोधन) विनियम, 2025 की धारा 3क में यथा परिभाषित निवासअभिप्रेत है;

ग) **"अधिवास प्रमाण पत्र"** से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए नियम 5 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र, अभिप्रेत है;

घ) **"विनियम"** से लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियम, 2025 अभिप्रेत है ।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्द और पद जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु विनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो विनियम में क्रमशः उनके लिए दिया गया है।

**3. अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन.-** (1) कोई भी व्यक्ति जो अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के लिए पात्र है, वह लद्दाख प्रशासन द्वारा बनाए जाने वाले रूपविधान में अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को या तो भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से , जैसा भी प्रशासन द्वारा विनिश्चित किया जाए, आवेदन कर सकेगा ।

(2) नाबालिग और दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने और अन्य कृत्यों के लिए यथास्थिति उनके माता-पिता या अभिभावकों में से किसी एक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, जो इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट हैं।

**4. व्यक्तियों का वर्ग, अपेक्षित दस्तावेज, अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी.-** (1) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ-II में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रवर्गों के अधीन अधिवास प्रमाण-पत्र के लिए पात्र कोई भी व्यक्ति, अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए उक्त सारणी के प्रत्येक प्रवर्ग के समक्ष स्तंभ-V में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ स्तंभ-IV में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा, अर्थात्:-

**सारणी**

| I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|
| **क्रमांक संख्या** | **अधिवास का प्रवर्ग** | **लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियम, 2025 की सुसंगत धारा** | **अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी** | **आवेदन के साथ उपाबद्ध किए जाने वाले दस्तावेज** | **अपील प्राधिकारी** |
| 1 | (क) लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र (एल.आर.सी.) धारक या जो एल.आर.सी. के लिए पात्र हैं | धारा 3क (1) (क) | तहसीलदार | लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र द्वारा जारी निवासी प्रमाण पत्र या पात्रता का प्रमाण | उपायुक्त |
| | (ख) विनियम की धारा 3क (1) (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के बच्चे | धारा 3क (2) (ख) के साथ पठित धारा 3क (1) (क) | तहसीलदार | (क) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र द्वारा जारी माता-पिता का लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र या पात्रता का प्रमाण; और<br><br>(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र | उपायुक्त |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के ऐसे निवासियों के बच्चे जो रोजगार, व्यवसाय या अन्य व्यावसायिक कारणों से संघ राज्यक्षेत्र से बाहर रहते हैं | धारा 3क(2)(ग) | तहसीलदार | क्रम संख्या 1(क) और 1(ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज, जैसा भी मामला हो। | उपायुक्त |
| 3 | (क) कोई व्यक्ति जिसने लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए निवास किया है | धारा 3क (1) (क) | तहसीलदार | कोई भी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, अचल संपत्ति अभिलेख; शैक्षिक अभिलेख, मतदाता सूची, बिजली उपयोगिता बिल, या संबंधित प्रभाग के उप श्रम आयुक्त या उद्योग और वाणिज्य निदेशक द्वारा सत्यापित नियोक्ता प्रमाण पत्र, या, प्रमाण का कोई अन्य दस्तावेज, जो संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के गठन की तारीख, अर्थात 31 अक्टूबर, 2019 से संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में पंद्रह वर्ष की निवास की अवधि को उपदर्शित करता हो। | उपायुक्त |
| | (ख) उस व्यक्ति के बच्चे जो संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए निवास कर चुके हैं | धारा 3क (1) (क) के साथ पठित धारा 3क (2) (ख) | तहसीलदार | (क) माता-पिता का कोई भी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, अचल संपत्ति रिकॉर्ड, शैक्षिक रिकॉर्ड, मतदाता सूची, बिजली उपयोगिता बिल, या संबंधित प्रभाग के उप श्रम आयुक्त या उद्योग निदेशक द्वारा सत्यापित नियोक्ता प्रमाण पत्र, या, कोई अन्य प्रमाण दस्तावेज, जो संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के गठन की अर्थात, 31 अक्टूबर, 2019 से संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में पंद्रह वर्ष की अवधि के निवास का संकेत देता है, और<br><br>(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। | उपायुक्त |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | कोई व्यक्ति जिसने संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में स्थित शैक्षणिक संस्थान में सात वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन किया हो और कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल हुआ हो। | धारा 3क (1) (ख) | तहसीलदार | संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी और संबंधित जिले के स्कूल विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित शिक्षा प्रमाण पत्र, जिसमें संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के गठन की अर्थात, 31 अक्टूबर, 2019 से संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में सात वर्ष की अध्ययन अवधि उपदर्शित गई हो और कक्षा 10वीं या 12वीं की उपस्थिति का प्रमाण पत्र। | उपायुक्त |
| 5 | केंद्रीय सरकार के अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्रीय सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय सरकार के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों के बच्चे जिन्होंने कुल दस वर्षों की अवधि के लिए संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में सेवा की होगी। | धारा 3क(2)(क) | प्रशासक द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी | (क) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र जो संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के गठन की तारीख, अर्थात, 31 अक्टूबर, 2019 से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों या संगठनों में दस वर्ष की सेवा की अवधि उपदर्शित करने वाला सेवा प्रमाण पत्र , और<br><br>(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। | सरकार के सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) |

(2) प्रशासक अधिसूचना द्वारा उपनियम (1) के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के लिए सक्षम प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति स्तंभ-6 में विनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा:

परंतुक अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का निर्णय करेगा।

**5. अधिवास प्रमाण-पत्र प्रदान करना -** (1) आवेदक द्वारा नियम 4 के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तथा ऐसी जांच करने के पश्चात, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को नियम 3 में निर्दिष्ट रूपविधान में अपनी मुहर तथा हस्ताक्षर सहित अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करेगा अथवा आवेदन को अस्वीकार कर देगा।

(2) रूपविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि अधिवास प्रमाण पत्र केवल लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियम, 2025 में परिभाषित संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के अधीन पदों पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए वैध है।

(3) सक्षम प्राधिकारी सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिवास प्रमाण पत्र भी जारी कर सकेगा।

**6. पुनरीक्षण -** अपील प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके समक्ष किए गए आवेदन पर, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही या दिए गए आदेशों के अभिलेखों को ऐसी कार्यवाही या आदेशों की वैधता और औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजनों के लिए मंगा सकता है और उसके संदर्भ में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे:

परंतुक किसी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

**7. निर्वचन-** यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन का कोई प्रश्न उठता है, तो उसे उस पर निर्णय के लिए संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के प्रशासक को भेजा जा सकेगा।

[फा. सं. 11012/01/2025-एसआरए]

प्रशांत लोखंडे, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd June, 2025

**G.S.R. 363(E).—** In exercise of the powers conferred by section 15 of the Ladakh Civil Services Decentralization and Recruitment (Amendment) Regulation, 2025, the President hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title, extent and commencement:** - (1) These rules may be called the Ladakh Civil Services Decentralization and Recruitment-Grant of Domicile Certificate (Procedure) Rules, 2025.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,

   a) **"Competent Authority"** means Tehsildar within his territorial jurisdiction, or any other officer as may be notified by the Administration from time to time in this regard for the purposes of issuance of Domicile Certificate;

   b) **"Domicile"** means domicile as defined in section 3A of the Ladakh Civil Services Decentralization and Recruitment (Amendment) Regulation, 2025;

   c) **"Domicile Certificate"** means a certificate issued under rule 5 for the purposes of appointment to any post under the Union territory of Ladakh;

   d) **"Regulation"** means the Ladakh Civil Services Decentralization and Recruitment (Amendment) Regulation, 2025.

(2) Words and expressions used herein, and not defined but defined in the Regulation, shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Regulation.

**3. Application for grant of Domicile Certificate.**- (1) Any person who is eligible for grant of Domicile Certificate may apply to the Competent Authority for grant of Domicile Certificate in the format to be made by the Administration of Ladakh, either physically or electronically, as may be decided by the Administration.

(2) In case of minors and persons of disability, the application for grant of certificate may be made and other acts to be performed by either of their parents or guardians, as the case may be.

(3) Every application made under sub-rules (1) and (2) shall be accompanied by such documents as are specified under these rules.

**4. Class of persons, documents required, Authority Competent and Appellate Authority for issuance of Domicile Certificate.**- (1) Any person eligible for Domicile Certificate under various categories specified in column-II of the Table below, shall apply to the Competent Authority as specified in column-IV, along with documents specified in column-V against each category of the said Table, for issuance of Domicile Certificate, namely :-

**TABLE**

| I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sl.No.** | **Category of Domicile** | **Relevant section of the Ladakh Civil Services Decentralization and Recruitment (Amendment) Regulation, 2025** | **Competent Authority for issuance of Domicile Certificate** | **Documents to be annexed with application** | **Appellate Authority** |
| 1 | (a)Ladakh Resident Certificate (L.R.C.) Holder or those eligible for L.R.C. | Section 3A (1)(a) | Tehsildar | Ladakh Resident Certificate issued by the Union territory of Ladakh or proof of eligibility | Deputy Commissioner |
| | (b) Children of persons mentioned in section 3A(1)(a) of the Regulation | Section 3A(2)(b) read with section 3A(1)(a) | Tehsildar | (a)Ladakh Resident Certificate of the parent issued by the Union territory of Ladakh or proof of eligibility; and<br><br>(b) Birth certificate issued by the Competent Authority | Deputy Commissioner |
| 2 | Children of such residents of the Union territory of Ladakh as resided outside the Union territory in connection with employment of business or other professional vocational reasons | Section 3A(2)(c) | Tehsildar | The documents as specified at sl. nos. 1(a) and 1(b), as the case may be. | Deputy Commissioner |
| 3 | (a) A person who has resided for a period of fifteen years in the Union territory of Ladakh | Section 3A(1) (a) | Tehsildar | Any document such as Ration Card, immovable property records; educational records, voter list, electricity utility bills, or employer certificate verified by the Deputy Labour Commissioner or the Director of Industries and Commerce of the concerned Division, or, any other document of proof residence indicating period of fifteen years of residence in the Union territory | Deputy Commissioner |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | of Ladakh from the date of formation of the Union territory of Ladakh, that is, the 31st day of October, 2019. | |
| | (b) Children of a person who has resided for a period of fifteen years in the Union territory of Ladakh | Section 3A(2)(b) read with section 3A(1)(a) | Tehsildar | (a)Any document of the parent such as Ration Card, immovable property records, educational records, voter list, electricity utility bills, or employer certificate verified by the Deputy Labour Commissioner or the Director of Industries of the Concerned Division, or, any other document of proof of residence indicating period of fifteen years of residence in the Union territory of Ladakh, from the date of formation of the Union territory of Ladakh, that is, the 31st day of October, 2019 ,and<br><br>(b) Birth Certificate issued by the Competent Authority. | Deputy Commissioner |
| **4** | A person who has studied for a period of seven years and appeared in class 10th or 12th examination in an educational institution located in the Union territory of Ladakh | Section 3A(1)(b) | Tehsildar | Certificate of education issued by the Head of the Institute and verified by Chief Education Officer of the School Department of the concerned District indicating period of seven years of study in the Union territory of Ladakh from the date of formation of the Union territory of Ladakh, that is, the 31st day of October, 2019 and class 10th or 12th appearance certificate. | Deputy Commissioner |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Children of Central Government officers, Officials of Public Sector Undertakings, Autonomous Body of Central Government, Public sector Banks, Officials of Central Universities and recognized Research Institution of Central Government who shall have served the Union territory of Ladakh for a total period of ten years. | Section 3A(2)(a) | An officer to be nominated by the Administrator | (a) Certificate of service issued by the Controlling Authority indicating period of ten years served in the Central Government offices or organisations located in the Union territory of Ladakh from the date of formation of the Union territory of Ladakh, that is, the 31st day of October, 2019 , and<br><br>(b) Birth Certificate issued by the Competent Authority. | Secretary to the Government (General Administration Department) |

(2) The Administrator may, by notification, specify the Competent Authority for documents as specified in the Table under sub rule (1).

(3) Any person aggrieved by an order of the Competent Authority may file an appeal before the Appellate Authority as specified in column VI:

Provided that the Appellate Authority shall decide the appeal after giving an opportunity of being heard to the parties.

**5. Grant of Domicile Certificate.**- (1) On the basis of documents furnished by the applicant under rule 4 and after holding such enquiry as the Competent Authority may deem necessary, the Competent Authority shall either issue Domicile Certificate in the format referred to in Rule 3, to the applicant bearing its seal and signatures or reject the application.

(2) The format shall clearly mention that the domicile certificate is valid only for the purpose of appointment to the posts under the Union territory of Ladakh as defined in Ladakh Civil Services Decentralization and Recruitment (Amendment) Regulation, 2025.

(3) The Competent Authority may also issue Domicile Certificate electronically, as may be decided by the Government.

**6. Revision.**- The Appellate Authority may, suo motu or on an application made to it, call for the records of the proceedings taken, or orders made, by any Competent Authority for the purposes of satisfying itself as to the legality and propriety of such proceedings or orders and may pass such orders in reference thereto as it deems fit:

Provided that no order shall be made against any person without giving him a reasonable opportunity of being heard.

**7. Interpretation.**- If any question of interpretation of any of the provisions of these rules arises, the same may be referred to the Administrator of the Union territory of Ladakh for decision thereon.

[F. No. 11012/01/2025-SRA]

PRASHANT LOKHANDE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA